कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड
उ0प्र0 जल निगम, गाजीपुर

"निविदा सूचना"

पत्रांक 1611/ लेखा–18 / 99 दिनांक 14.12.2016

अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार जनपद, गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवी एवं जल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से पेयजल योजनावार मुहरबन्द निविदायें दिनांक 27.03.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। समस्त निविदायें दिनांक 20.03.2017 से दिनांक 25.03.2017 तक इस कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (वारा0क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी एवं कार्यालय जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर से भी क्रय की जा सकती है, निविदाये जहॉ से क्रय की गयी होगी उसी स्थान में दिनांक 27.03.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी। सभी कार्यालय से प्राप्त निविदा को निर्धारित दिनांक 28.03.2017 के अपरान्ह 3.30 बजे कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0रॉ0) गाजीपुर के कार्यालय में उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपर जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	उच्च जलाशय की क्षमता एवं ऊंचाई	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्रों की बिक्री		निविदा प्रपत्रों को जमा करने की तिथि	निविदा प्रपत्रों को खोलने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
					प्रारम्भ की तिथि	अन्तिम तिथि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**<u>युसुफपुर पेयजल योजना</u>** (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) विकास खण्ड- मनिहारी जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत- आर0सी0सी0 शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य सी0आई0डी0एफ0 पाइप सी0आई0डी0एफ0 स्लूस वाल्व चैम्बर सहित आपूर्ति एवं फिटिंग सहित समस्त कार्य	300 किली0 /14 मी0	70,000.00	3000.00 + 13.5% वैट	20-03-2017	25-03-2017	27-03-2017	28-03-2017	6 माह
2	**<u>छपरी पेयजल योजना</u>** (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) विकास खण्ड- मनिहारी जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत- आर0सी0सी0 शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य सी0आई0डी0एफ0 पाइप सी0आई0डी0एफ0 स्लूस वाल्व चैम्बर सहित आपूर्ति एवं फिटिंग सहित समस्त कार्य	150 किली0 /14 मी0	40,000.00	3000.00 + 13.5% वैट	20-03-2017	25-03-2017	27-03-2017	28-03-2017	6 माह

नियम एवं शर्ते–

1– निविदा प्रपत्र उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को उपरोक्तानुसार नकद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है, डाक द्वारा मंगाने पर रु0 300.00 डाक व्यय अतिरिक्त देय होगा, डाक द्वारा बिलम्ब से निविदा प्राप्त होने पर विभाग उत्तरदायी नही होगा।

2– निविदा खोलने की तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।

3– जिन निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार की जायेगी उन्हें रू0 100.00 के नान जूडीशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टैम्प पेपर निविदा दाता द्वारा स्वयं अपने पक्ष में क्रय करना होगा। अनुबन्ध पूर्ण करने हेतु 10 प्रतिशत जमानती धनराशि एवं नवीनतम प्रचलित दर से स्टैम्प जमा करना होगा।

4– बिना धरोहर धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– धरोहर धनराशि को अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक करते हुए किसी भी राष्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त बैंक / पोस्ट आफिस का एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 / राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करना होगा।

6– निविदा दाताओं को सलाह दिया जाता है कि वे कार्य स्थल की पूर्ण जानकारी कर लें तथा सामग्री व श्रमिकों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही निविदा दें।

7– निविदा दस्तावेज में नियम एवं शर्तो का विस्तृत उल्लेख है, निविदा दाताओं को सभी शर्ते माननी होगीं।

8– निविदा विभाग में शिरोपरि जलाशय के निर्माण के लिए 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में अथवा वाटर सप्लाई ''टर्न की'' में पंजीकृत ठेकेदार को बेची जायेगी, निविदा क्रय के आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9–शिरोपरि जलाशय में प्रयोगार्थ सी0आई0डी0एफ0 पाइप/डी0आई0डी0एफ0 पाइप (इनलेट, आउटलेट, ओवरफ्लो, वासआउट) सीमेन्ट एवं माइल्ड स्टील का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा स्वतः करना होगा। सीमेन्ट ए0सी0सी0 का तथा स्टील टाटा (टिस्कान) / आई0एस0आई0 मार्क्ड (Fe 415) का होगा। माइल्ड स्टील का टेस्ट सर्टिफिकेट ठेकेदार को देना होगा। स्टील एवं क्यूब टेस्ट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर नियमित रूप से करना होगा।

10– निविदा, विभाग में पाइप लाइन हेतु निविदा ''ए'' ''बी'' एवं ''सी'' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों को बेची जाएगी।

11– निविदा क्रय के आवेदन–पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्यो का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव/रेगुलेशन्स फॉर क्लैसिफिकेशन एण्ड इन्लिस्टमेन्ट आफ कान्ट्रैक्टर्स इन यू0पी0 जल निगम के आधार पर नियमानुसार होना आवश्यक होगा, तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

12– पाइप लाइन कार्य हेतु(क्रमांक 2 एवं 3) हेतु समस्त सामग्री विभाग के केन्द्रीय भण्डार गाजीपुर से प्राप्त करनी होगी, इसके लिए अलग से कोई ढुलाई एवं उतराई चार्ज देय नहीं होगा।

13–बिना कारण बताये हुए एक या एक से अधिक निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

14– अलग-अलग कार्यों हेतु निविदा अलग-अलग विक्रय की जायेगी।

15–निविदा अलग लिफाफे मे तथा धरोहर धनराशि अलग लिफाफे में बन्द कर पुनः दोनों को एक लिफाफे मे बन्द कर टेंडर बाक्स में डालना होगा।

(एस0के0 यादव)
अधिशासी अभियन्ता